

10/02/20

पुत्राद्य उपास्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें माननीय
उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार राजस्व
रेफर्ड को किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया
जाना है अतः माननीय उच्च न्यायालय के
निर्णय के अध्याधीन दावा सेमापत (Drpp)
किया जाता है। निर्णयोंपरान्त नया दावा लाने
हेतु स्वतंत्र रहेंगे।
पत्रावली फेसल शुभार होकर नम्बर से
रुम हो।

सहायक फिलेक्टर
पत्रावली

